न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस

अपील संख्या 04 / 2024

कुमेरसिंह पुत्र स्वर्गीय मानसिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी ग्राम गांगियासर, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू हाल निवासी वार्ड संख्या 31, ओम कॉलोनी, चुरू।

–अपीलान्ट–

बनाम

1. भरतसिंह उर्फ भागीरथ सिंह शेखावत पुत्र स्वर्गीय मानसिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी प्लाट संख्या सी 81, सैक्टर 4, सैनिक बस्ती, पंखा सर्किल के पास चुरू।
2. उम्मेद सिंह पुत्र स्वर्गीय मानसिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी ग्राम गांगियासर, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
3. महावीर सिंह पुत्र स्वर्गीय मानसिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी ग्राम गांगियासर, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
4. सिरेकंवर पत्नि स्व0 रघुवीर सिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी शार्दुल कॉलोनी, गांगियासर हाउस, रोड़ नम्बर 2, कबाड़ी मार्केट के पास, झुन्झुनू।
5. शक्ति सिंह पुत्र स्व0 रघुवीर सिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी शार्दुल कॉलोनी, गांगियासर हाउस, रोड़ नम्बर 2, कबाड़ी मार्केट के पास, झुन्झुनू।
6. चांद कवंर पत्नि श्री सुमेरसिंह जोधा (पुत्री स्व0 श्री रघुवीर सिंह) जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नम्बर 57, सज्जन लीला विहार कॉलोनी, रमजान हत्था, बेनाड़ रोड़, जोधपुर।
7. सुरज कवंर पत्नि श्री भंवरसिह राठौड़ (पुत्री स्व0 श्री रघुवीर सिंह) जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नम्बर 88, सज्जन लीला विहार कॉलोनी, रमजान हत्था, बेनाड़ रोड़, जोधपुर।
8. किरण कवंर पत्नि श्री गिरधारी सिंह राठौड़ जाति राजपूत, निवासी गायत्री कॉलोनी, शिव मन्दिर के पास, रिक्तिया भैंरूजी सर्किल, बिलाड़ा, जोधपुर।
9. अनामिका कवंर पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ जाति राजपूत, निवासी 5 / 3, बी.एस.एन.एल ऑफिसर्स कॉलोनी, जेडीए सर्किल के पास, जोधपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील [illegible]सर, झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट्स–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:27 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत अपास्त करवाये जाने नामान्तरकरण संख्या 639 जो कि रोही गांगियासर में अवस्थित खसरा नम्बर 179 बाबत उप तहसीलदार (भू0 अ0) मलसीसर द्वारा दिनांक 19.06.1998 को गलत रूप से स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत (एडवोकेट)......................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अभिषेक सिंह शेखावत (एडवोकेट).................रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी (राज0 एडवोकेट).......रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से।

–निर्णय–

दिनांक : 29.4.24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उपरोक्त उनवानी अपील एडवोकेट श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत अपास्त करवाये जाने नामान्तरकरण संख्या 639 जो कि रोही गांगियासर में अवस्थित खसरा नम्बर 179 बाबत उप तहसीलदार (भू0 अ0) मलसीसर द्वारा दिनांक 19.06.1998 को गलत रूप से स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार हैः कि अपीलार्थी कुमेरसिंह पुत्र स्व0 मानसिंह शेखावत का सबसे बड़ा पुत्र है जो मूल रूप से ग्राम गांगियासर का निवासी है वर्तमान में अपनी आजीविका के क्रम में वर्ष 1968 से चुरू रिहायस कर रहा है। अपीलार्थी के पिता स्व0 श्री मानसिंह शेखावत का देहावसान काफी अर्सा पूर्व दिनांक 18.05.1984 को हो चुका है तथा अपीलार्थी की माता श्रीमती प्रेम कवंर का देहावसान भी दिनांक 23.07.2003 को हो चुका है। अपीलार्थी की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमियां रोही गांगियासर में अवस्थित चली आ रही है, जिसमें कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 474 तादादी 1.6300 हैक्टर व खसरा संख्या 534 तादादी 0.4900 हैक्टर मौजूद है जिनके पुराना खाता संख्या 144 व नया खाता संख्या 143 है। इनका पुराना खसरा नम्बर 215/2 व 391 है। यह कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता मानसिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम दर्ज रही है। जिस संबंध में अकंन पुराने राजस्व रिकार्ड में रहा है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमियों में अपीलार्थी का हक व हिस्सा भी कानूनन कायम हुआ जो आज दिनांक तक मौजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

है। चूँकि अपीलार्थी ने चुरू में अपना रहवास कायम कर लिया था तो उसके हिस्से की कृषि भूमि में उसकी सहमति से अपने हिस्से की भूमि पर कभी अपने भाईयों तथा कभी अन्य व्यक्ति से काश्त करवाई जाती रही है तथा यह भूमि वर्तमान तक अविभाजित ही चली आ रही है। वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा अपने भाईयों से अपनी निजी आवश्यकता हेतु उपर वर्णित भूमि का विभाजन करवा अपना हिस्सा अलग करने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवाई गई तो तब अपीलार्थी को पता चला कि उक्त कृषि भूमि में उसके भाईयों तथा उसकी माता का तो दर्ज मिला लेकिन अपीलार्थी का नाम नही मिला। यह पता चलने पर अपीलार्थी द्वारा अपने भाईयों से इस संबंध में वार्तालाप की गई तो उसके भाई टालमटोल करते रहे तथा कोई संतोषप्रद जबाब नही दिया तब अपीलार्थी ने इन कृषि भूमियों की जमाबन्दी व नामान्तरकरण की नकल निकलवाई गई तब अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी के पिता के देहावसान हो जाने के उपरान्त जो वादग्रस्त विरासतन इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही चली है उसमें अपीलार्थी के पिता का अधूरा व गलत वंशवृक्ष जिसे तत्कालिन सरपंच विष्णु कवंर द्वारा गलत रूप से प्रमाणित किया था, प्रस्तुत कर इन कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम अकंन नही किया गया है। उपरोक्त गलत व अधूरे वंशवृक्ष को सही मानते हुए दिनांक 19.06.1998 को उप तहसीलदार मलसीसर द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया। अपीलार्थी को पता चलने पर अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थीगण से वार्तालाप की तो प्रत्यर्थीगण द्वारा इस हेतु कोई स्पष्ट उत्तर अपीलार्थी को नही दिया गया तथा यह विवादित नामांकन दुरस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी का नाम अंकन करवाने में सहमत नही हुए तथा दिनांक 22.01.2024 को प्रत्यर्थीगण द्वारा रिकॉर्ड दुरस्ती हेतु स्पष्ट मना कर दिया गया।

अपीलार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी स्वर्गीय मानसिंह का पुत्र है। इतना ही नही ग्राम गांगियासर में इन वादगत कृषि भूमियों के अतिरिक्त अपीलार्थी की माता श्रीमती प्रेम कवंर पत्नि स्व. श्री मानसिंह के नाम से खसरा संख्या 59 की कृषि भूमि दर्ज रही है जिसका विरासतन इन्तकाल दिनांक 07.08.2015 को स्वीकृत हुआ है जो नामान्तरकरण संख्या 301 है में भी अपीलार्थी को स्व. मानसिंह एवं स्व. प्रेम कवंर का पुत्र दर्शाया गया है तथा इस अनुसार इस कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम चला आ रहा है। जिससे यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी स्व. श्री मानसिंह एवं स्व. श्रीमती प्रेम कवंर का जायन्दा पुत्र है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार मलसीसर द्वारा दिनांक 19.06.1998 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 639 को अपास्त किया जाकर इन वादगत कृषि भूमियों वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

खसरा संख्या 474 व 534 वाके ग्राम गांगियासर में अपीलार्थी का नाम भी उसके भाईयों के साथ संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अपीलार्थी कुमेरसिंह पुत्र स्व0 मानसिंह शेखावत का सबसे बड़ा पुत्र है जो मूल रूप से ग्राम गांगियासर का निवासी है वर्तमान में अपनी आजीविका के क्रम में वर्ष 1968 से चुरू रिहायस कर रहा है। अपीलार्थी के पिता स्व0 श्री मानसिंह शेखावत का देहावसान काफी अर्सा पूर्व दिनांक 18.05.1984 को हो चुका है तथा अपीलार्थी की माता श्रीमती प्रेम कवंर का देहावसान भी दिनांक 23.07.2003 को हो चुका है। अपीलार्थी की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमियां रोही गांगियासर में अवस्थित चली आ रही है, जिसमें कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 474 तादादी 1.6300 हैक्टर व खसरा संख्या 534 तादादी 0.4900 हैक्टर मौजूद है जिनके पुराना खाता संख्या 144 व नया खाता संख्या 143 है। इनका पुराना खसरा नम्बर 215/2 व 391 है। यह कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता मानसिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम दर्ज रही है। जिस संबंध में अकंन पुराने राजस्व रिकार्ड में रहा है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमियों में अपीलार्थी का हक व हिस्सा भी कानूनन कायम हो गया जो आज दिनांक तक मौजूद है। चूँकि अपीलार्थी ने चुरू में अपना रहवास कायम कर लिया था तो उसके हिस्से की कृषि भूमि में उसकी सहमति से अपने हिस्से की भूमि पर कभी अपने भाईयों तथा कभी अन्य व्यक्ति से काश्त करवाई जाती रही है तथा यह भूमि वर्तमान तक अविभाजित ही चली आ रही है। वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा अपने भाईयों से अपनी निजी आवश्यकता हेतु उपर वर्णित भूमि का विभाजन करवा अपना हिस्सा अलग करने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवाई गई तो तब अपीलार्थी को पता चला कि उक्त कृषि भूमि में उसके भाईयों तथा उसकी माता का तो दर्ज मिला लेकिन अपीलार्थी का नाम नही मिला। यह पता चलने पर अपीलार्थी द्वारा अपने भाईयों से इस संबंध में वार्तालाप की गई तो उसके भाई टालमटोल करते रहे तथा कोई संतोषप्रद जबाब नही दिया तब अपीलार्थी ने इन कृषि भूमियों की जमाबन्दी व नामान्तरकरण की नकल निकलवाई गई तब अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी के पिता के देहावसान हो जाने के उपरान्त जो वादग्रस्त विरासतन इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही चली है उसमें अपीलार्थी के पिता का [illegible] वंशवृक्ष जिसे तत्कालिन सरपंच विष्णु कवंर द्वारा गलत रूप से प्रमाणित किया गया, प्रस्तुत कर इन कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम अकंन नहीं किया गया है। उपरोक्त गलत व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

अधूरे वंशवृक्ष को सही मानते हुए दिनांक 19.06.1998 को उप तहसीलदार मलसीसर द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया। अपीलार्थी को पता चलने पर अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थीगण से वार्तालाप की तो प्रत्यर्थीगण द्वारा इस हेतु कोई स्पष्ट उत्तर अपीलार्थी को नही दिया गया तथा यह विवादित नामांकन दुरस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी का नाम अंकन करवाने में सहमत नही हुए तथा दिनांक 22.01.2024 को प्रत्यर्थीगण द्वारा रिकॉर्ड दुरस्ती हेतु स्पष्ट मना कर दिया गया।

अपीलार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी स्वर्गीय मानसिंह का पुत्र है। इतना ही नही ग्राम गांगियासर में इन वादगत कृषि भूमियों के अतिरिक्त अपीलार्थी की माता श्रीमती प्रेम कवंर पत्नि स्व. श्री मानसिंह के नाम से खसरा संख्या 59 की कृषि भूमि दर्ज रही है जिसका विरासतन इन्तकाल दिनांक 07.08.2015 को स्वीकृत हुआ है जो नामान्तरकरण संख्या 301 है में भी अपीलार्थी को स्व. मानसिंह एवं स्व. प्रेम कवंर का पुत्र दर्शाया गया है तथा इस अनुसार इस कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम चला आ रहा है। जिससे यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी स्व. श्री मानसिंह एवं स्व. श्रीमती प्रेम कवंर का जायन्दा पुत्र है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार मलसीसर द्वारा दिनांक 19.06.1998 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 639 को अपास्त किया जाकर इन वादगत कृषि भूमियों वर्तमान खसरा संख्या 474 व 534 वाके ग्राम गांगियासर में अपीलार्थी का नाम भी उसके भाईयों के साथ संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही करते हुए वादगत कृषि भूमियों में अपीलार्थी का नाम जोड़े जाने पर अनापति जाहिर की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम गांगियासर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 59 व नामान्तरकरण संख्या 301 एवं पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्व. श्री मानसिंह व स्व. श्रीमती प्रेम कवंर का जायन्दा पुत्र है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कि विरासतन प्राप्त होने वाली कृषि भूमियों में खातेदार के प्रत्येक वारिसान का बराबर का हक अधिकार होता है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 639 में अपीलार्थी के जायज वारिस होने के उपरान्त भी स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण में अपीलार्थी को हिस्सेदार नही बनाकर नामान्तरकरण स्वीकार करना कानूनी भूल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मलसीसर द्वारा दिनांक 19.06.1998 को स्वीकृत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

नामान्तरकरण संख्या 639 रोही गांगियासर में अवस्थित वर्तमान खसरा संख्या 474 व 534 को निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली तहसीलदार मलसीसर हाल तहसीलदार बिसाऊ को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि वे स्वयं जायज वारिसान की जांच कर गुणावगुण के आधार पर विधिनुकूल निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.4.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एव इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:27 IST
Reason: SelfAttested